



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



8 अग्रहायण, 1945 (श०)

संख्या - 39 राँची, बुधवार

29 नवंबर, 2023 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग 1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 552-592
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

भाग 1-क—स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के
आदेश ।

भाग 1-ख—मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस.सी., बी.ए.,
बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग और
2, एम.बी.बी.एस., बी.सी.ई., डिप०-इन-एड.,
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम
छात्रवृत्ति प्रदान आदि

भाग 1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ
एवं नियम आदि ।

भाग 3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम
'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।

भाग-4—झारखण्ड अधिनियम

भाग-5—झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित
विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के
प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के
पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति
एम.एस.ओर की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक,
संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9— विज्ञापन

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ,
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ
इत्यादि।

प्रक-

...

...

प्रक "अ"

...

...

भाग 1**नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ****गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।****अधिसूचना****27 मई, 2022**

संख्या-10/विविध-808/2022-2129--विभागीय संकल्प संख्या-1938, दिनांक-20.04.2021 (प्रति संलग्न) द्वारा झारखण्ड अलग राज्य के गठन हेतु किये गये आंदोलन के आंदोलनकारियों को सम्मानित करने हेतु आयोग का गठन एवं नीति निरूपण किया गया है।

2. उक्त संकल्प के आलोक में आंदोलनकारियों को चिन्हित करने हेतु गठित झारखण्ड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग द्वारा उक्त संकल्प के अनुरूप विभिन्न श्रेणी के आंदोलनकारियों को जिलावार चिन्हित कर राज्य सरकार को **चौदहवीं संपुष्ट सूची पत्रांक-3847, दिनांक-02.02.2022** द्वारा समर्पित किया गया।

3. आयोग के उक्त प्रतिवेदनों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा जिलावार संलग्न सूची के अनुसार चिन्हित आंदोलनकारियों की सूची पर स्वीकृति प्रदान की गयी है। इन चिन्हित आंदोलनकारियों को उक्त संकल्प के प्रावधानों के अनुरूप उनकी कोटि के अंतर्गत वर्णित सुविधाएं संबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा प्रदान की जायेगी।

4. संबंधित उपायुक्त अपने जिले से सम्बद्ध संलग्न सूची में नामांकित/चिन्हित झारखण्ड आन्दोलनकारी की पहचान करते हुए उन्हें देय बकाया सम्मान पेंशन राशि का एक मुश्त भुगतान संगत बजट शीर्ष में निधि की उपलब्धता के आधार पर सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह का सम्मान पेंशन का उसके अगले माह के प्रथम सप्ताह तक दिया जाना सुनिश्चित करेंगे।

5. यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में किसी एक आन्दोलनकारी को दोहरा सम्मान पेंशन का भुगतान नहीं हो सके।

6. यह दिनांक-20.04.2021 से प्रभावी होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

धनेश कुमार,

सरकार के अवर सचिव।

**अधिसूचना संख्या-2129, दिनांक-27/05/2022 द्वारा अधिसूचित झारखण्ड आंदोलनकारी
की समेकित सूची।**

क्र०सं०	जिला का नाम	कंडिका-02 (viii) (a)	कंडिका-02 (viii) (b)	कंडिका-02 (viii) (c)	कंडिका-02 (ix)	अभ्युक्ति
1	चतरा	5	-	-	-	
2	धनबाद	4	-	-	-	
3	दुमका	2	-	-	-	
4	पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर	1	-	-	1	
5	गढ़वा	-	-	-	1	
6	गिरिडीह	3	-	-	-	
7	गोड्डा	1	-	-	1	
8	हजारीबाग	2	-	-	-	
9	कोडरमा	7	-	-	-	
10	लोहरदगा	2	-	-	-	
11	रामगढ़	6	-	-	-	
12	राँची	1	-	-	1	
13	सरायकेला- खरसावां	2	-	-	-	
14	प० सिंहभूम, चाईबासा	3	-	-	-	
	कुल	39	-	-	4	

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

27 मई, 2022

अधिसूचना संख्या-10/विविध-808/2022-2129--गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संकल्प संख्या-10/विविध-1013/2008 (खण्ड-III)-1938, दिनांक-20.04.2021 में निहित प्रावधानों के अनुरूप चिन्हित आंदोलनकारियों की सूची:-

जिला:-चतरा

क्र०	नाम एवं पता	केस सं०/वाद सं० आदि का नाम	आन्दोलनकारी होने का संक्षिप्त कारण एवं चिन्हितकरण का आधार	संकल्प संख्या-1938, दिनांक-20.04.2021 के आलोक में श्रेणी का वर्गीकरण
1	आवेदक का नाम:- मसो० लिलवा देवी (आश्रित पत्नी) पति का नाम:- स्व० हुलास भुईया (मूल आन्दोलनकारी) ग्राम:- राहम, पोस्ट:- राहम, प्रखण्ड/थाना:- टण्डवा लिंग:- महिला	टण्डवा थाना अप्राथ० सं० 06/93 चतरा अनुमंडल दण्डा० वाद सं० 59/93	कारण:- दिनांक 15.03.1993 को बंदी एवं दिनांक 16.03.1993 को आर्थिक नाकेबंदी पर शांति भंग करने का आरोप। धारा-107/116(iii)/113 दं०प्र०सं० जेल की अवधि-12 दिन	कण्डिका-2 (VIII) (a) (आश्रित पत्नी)
2	आवेदक का नाम:- पच्चु भुईया उर्फ पचुवा भुईया पिता का नाम:- स्व० कुल्लू भुईया उर्फ सुलुवा भुईया ग्राम:- राहम पोस्ट:- राहम प्रखण्ड:- टण्डवा थाना:- टण्डवा लिंग:- पुरुष	टण्डवा थाना अप्राथ० सं० 06/93 चतरा अनुमंडल दण्डा० वाद सं० 59/93	कारण:- दिनांक 15.03.1993 को बंदी एवं दिनांक 16.03.1993 को आर्थिक नाकेबंदी पर शांति भंग करने का आरोप। धारा-107/116(iii)/113 दं०प्र०सं० जेल की अवधि-12 दिन	कण्डिका-2 (VIII) (a)

3	आवेदक का नाम:- सुरेश भुईया पिता का नाम:- स्व० खेदन भुईया ग्राम:- राहम पोस्ट:- राहम प्रखण्ड:- टण्डवा थाना:- टण्डवा लिंग:- पुरुष	टण्डवा थाना अप्राथ० सं० 06/93 चतरा अनुमंडल दण्डा० वाद सं० 59/93	कारण:- दिनांक 15.03.1993 को बंदी एवं दिनांक 16.03.1993 को आर्थिक नाकेबंदी पर शांति भंग करने का आरोप। धारा-107/116(iii)/113 दं०प्र०सं० जेल की अवधि-12 दिन	कण्डिका- 2 (VIII) (a)
4	आवेदक का नाम:- रामदेव उरांव पिता का नाम:- स्व० पाण्डे उरांव ग्राम:- राहम पोस्ट:-राहम प्रखण्ड:- टण्डवा थाना:- टण्डवा लिंग:- पुरुष	टण्डवा थाना अप्राथ० सं० 06/93 चतरा अनुमंडल दण्डा० वाद सं० 59/93	कारण:- दिनांक 15.03.1993 को बंदी एवं दिनांक 16.03.1993 को आर्थिक नाकेबंदी पर शांति भंग करने का आरोप। धारा-107/116(iii)/113 दं०प्र०सं० जेल की अवधि-12 दिन	कण्डिका- 2 (VIII) (a)
5	आवेदक का नाम:- भिनसेन्ट ओड़ेया पिता का नाम:- स्व० सोमा ओड़ेया ग्राम:- मेराल पोस्ट:- द्वारी प्रखण्ड:- पत्थलगड़ा थाना:- पत्थलगड़ा लिंग:- पुरुष	सिमरिया थाना काण्ड सं० 112/93 जीआर सं० 641/93	कारण:- दिनांक 25.09.1993 को नाजायज मजमा बनाकर सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप। धारा-147/148/323/307 भा०दं०वि० जेल की अवधि-46 दिन।	कण्डिका- 2 (VIII) (a)

जिला:- धनबाद

क्र०	नाम एवं पता	केस सं०/वाद सं० आदि का नाम	आन्दोलनकारी होने का संक्षिप्त कारण एवं चिन्हितकरण का आधार	संकल्प संख्या-1938, दिनांक-20.04.2021 के आलोक में श्रेणी का वर्गीकरण
1	आवेदक का नाम:- नीलकंठ महतो पिता का नाम:- स्व० झरी महतो ग्राम:- नरकोपी पोस्ट:- दुमदुमी थाना/प्रखण्ड:- तोपचांची	तोपचांची थाना सनहा सं० 644-654 दिनांक 31.03.1992	कारण:- दि० 31.03.1992 को झारखण्ड बंद के अवसर पर विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-151/107/116 (iii) दं०प्र०सं०	कण्डिका- 2 (VIII) (a)

	लिंग:- पुरुष	धनबाद अनु० दण्डा० एमपी वाद सं० 590/92	जेल की अवधि-02 दिन	
2	आवेदक का नाम:- दीपचन्द्र महतो पिता का नाम:- केशव महतो ग्राम:- नरकोपी पोस्ट:- दुमदुमी थाना/प्रखण्ड:- तोपचांची लिंग:- पुरुष	तोपचांची थाना सनहा सं० 644-654 दिनांक 31.03.1992 धनबाद अनु० दण्डा० एमपी वाद सं० 590/92	कारण:- दि० 31.03.1992 को झारखण्ड बंद के अवसर पर विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-151/107/116 (iii) दं०प्र०सं० जेल की अवधि-03 दिन	कण्डिका- 2 (VIII) (a)
3	आवेदक का नाम:- मितन तुरी पिता का नाम:- स्व० महावीर तुरी ग्राम:- मानगो, पोस्ट:- तांतरी थाना/प्रखण्ड:- तोपचांची लिंग:- पुरुष	तोपचांची थाना सनहा सं० 644-654 दिनांक 31.03.1992 धनबाद अनु० दण्डा० एमपी वाद सं० 590/92	कारण:- दि० 31.03.1992 को झारखण्ड बंद के अवसर पर विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-151/107/116 (iii) दं०प्र०सं० जेल की अवधि-02 दिन	कण्डिका- 2 (VIII) (a)
4	आवेदक का नाम:- बालेंद्र प्रसाद यादव पिता का नाम:- रामविलास यादव ग्राम:- झरिया कोयरी बांध पोस्ट/थाना:- झरिया प्रखण्ड:- झरिया लिंग:- पुरुष	झरिया थाना अप्राथ० 135(ए)/93 अनु० दण्डा० धनबाद एम.पी. केस सं० 1744/93	कारण:-दिनांक 15.09.1993 को झारखण्ड बंद के अवसर पर शांति भंग करने का आरोप। धारा-107 दं०प्र०सं० जेल की अवधि:-13 दिन	कण्डिका- 2 (VIII) (a)

जिला:- दुमका

क्र०	नाम एवं पता	केस सं०/वाद सं० आदि का नाम	आन्दोलनकारी होने का संक्षिप्त कारण एवं चिन्हितीकरण का आधार	संकल्प संख्या- 1938, दिनांक- 20.04.2021 के आलोक में श्रेणी का वर्गीकरण
1	आवेदक का नाम:- मनोहर प्रसाद साह (आश्रित पुत्र) पिता:- स्व० राम अवतार साह उर्फ रामोतार साह (मूल आन्दोलनकारी) ग्राम एवं पोस्ट:- हंसडीहा प्रखण्ड:- सरैयाहाट थाना:- हंसडीहा लिंग:- पुरुष	हंसडीहा थाना अप्राथ० सं० 06/93 अनु० दण्डा दुमका क्रि०मि० वाद सं० 274/93	कारण:- दिनांक 25.03.1993 को झारखण्ड पार्टी के कार्यकर्त्तों द्वारा आर्थिक नाकेबंदी के अवसर पर विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107/113 दं०प्र०सं० जेल की अवधि-13 दिन।	कण्डिका- 2 (VIII) (a) (आश्रित पुत्र)
2	आवेदक का नाम:- गोपीचंद दास (आश्रित पुत्र) पिता का नाम:- स्व० महादेव दास (मूल आन्दोलनकारी) ग्राम एवं पोस्ट:- आसनजोर प्रखण्ड/थाना:- जामा लिंग:- पुरुष	जामा थाना अप्राथ० सं० 84/93 अनु० दण्डा दुमका क्रि०मि० वाद सं० 1172/93	कारण:- दिनांक 15.09.1993 को झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (सोरेन गुट) के कार्यकर्त्तों द्वारा आर्थिक नाकेबंदी के अवसर पर विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107/113 दं०प्र०सं० जेल की अवधि-17 दिन।	कण्डिका- 2 (VIII) (a) (आश्रित पुत्र)

जिला:- पूर्वी सिंहभूम

क्र०	नाम एवं पता	केस सं०/वाद सं० आदि का नाम	आन्दोलनकारी होने का संक्षिप्त कारण एवं चिन्हितीकरण का आधार	संकल्प संख्या- 1938, दिनांक- 20.04.2021 के आलोक में श्रेणी का वर्गीकरण
1	आवेदक का नाम:- पुरेन्द्र कुमार सिंह पिता का नाम:- स्व० राम प्रसाद सिंह उर्फ आर० पी० सिंह ग्राम एवं पोस्ट:- सोनारी प्रखण्ड:- जमशेदपुर थाना:- सोनारी लिंग:- पुरुष	बिष्टुपुर थाना अप्राथ० सं० 07/93, अनु० दण्डा० धालभूम (जमशेदपुर) मिस वाद सं० 288/93	कारण:- दिनांक-15.03.1993 को झारखण्ड बंद एवं आर्थिक नाकेबंदी के अवसर पर विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107/116 (iii)दं०प्र०सं० जेल की अवधि:-13 दिन	कण्डिका- 2 (VIII) (a)

2	आवेदक का नाम:- हरमोहन महतो पिता का नाम:- दुर्गाचरण महतो ग्राम:- उलियान पोस्ट:- कदमा प्रखण्ड:- जमशेदपुर थाना:- कदमा लिंग:- पुरुष	नही	कारण:- झारखण्ड की समरगाथा पुस्तक के पृष्ठ सं० 464 तथा झारखण्ड आंदोलन से संबंधित अखबार कतरन में नाम अंकित है।	कण्डिका- 2 (ix)
---	---	-----	--	--------------------

जिला:- गढ़वा

क्र०	नाम एवं पता	केस सं०/वाद सं० आदि का नाम	आन्दोलनकारी होने का संक्षिप्त कारण एवं चिन्हितकरण का आधार	संकल्प संख्या- 1938, दिनांक- 20.04.2021 के आलोक में श्रेणी का वर्गीकरण
1	आवेदक का नाम:- मुरली श्याम (स्वर्णकार) सोनी पिता का नाम:- स्व० रामजी प्रसाद ग्राम:- वार्ड सं०-16, संघत मुहल्ला पोस्ट/थाना:- गढ़वा प्रखण्ड:- गढ़वा लिंग:- पुरुष	अनु० दण्डा० गढ़वा वाद सं० 290/95	कारण:- अलग झारखण्ड/वनांचल राज्य स्थापित करने हेतु शांति भंग करने के आरोप (अनुमण्डल दण्डाधिकारी, गढ़वा के पत्रांक- 104, दिनांक-12.03.2018 प्रतिवेदन अनुसार)। धारा-107 द०प्र०सं०	कण्डिका- 2 (ix)

जिला:- गिरिडीह

क्र०	नाम एवं पता	केस सं०/वाद सं० आदि का नाम	आन्दोलनकारी होने का संक्षिप्त कारण एवं चिन्हितकरण का आधार	संकल्प संख्या- 1938, दिनांक- 20.04.2021 के आलोक में श्रेणी का वर्गीकरण
1	आवेदक का नाम:- सोनोदी सोरेन (आश्रित पत्नी) पति का नाम:- स्व० श्यामलाल किस्कु (मूल आन्दोलनकारी) ग्राम:- भलपहरी	गिरिडीह नगर थाना काण्ड सं० 103/89	कारण:- दिनांक 09.06.1989 को झारखण्ड बंद के अवसर पर विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-147/148/448 भा०द०वि०	कण्डिका- 2 (VIII) (a) (आश्रित पत्नी)

	पोस्ट:- अहिल्यापुर प्रखण्ड:- गाण्डेय थाना:- अहिल्यापुर लिंग:- महिला		जेल की अवधि-08 दिन	
2	आवेदक का नाम:- साहेब राम हांसदा (आश्रित पुत्र) पिता:- स्व० रामेश्वर हांसदा उर्फ रामेश्वर मांझी (मूल आन्दोलनकारी) ग्राम:- राउतगादी पोस्ट:- उदनाबाद प्रखण्ड:- गिरिडीह थाना:- गिरिडीह (मु०) लिंग:- पुरुष	गिरिडीह नगर थाना काण्ड सं० 103/89	कारण:- दिनांक 09.06.1989 को झारखण्ड बंद के अवसर पर विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-147/148/448 भा०दं०वि० जेल की अवधि-08 दिन	कण्डिका- 2 (VIII) (a) (आश्रित पुत्र)
3	आवेदक का नाम:- साहेब राम हांसदा (आश्रित पुत्र) पिता:- स्व० रामेश्वर हांसदा उर्फ रामेश्वर मांझी (मूल आन्दोलनकारी) ग्राम:- राउतगादी पोस्ट:- उदनाबाद प्रखण्ड:- गिरिडीह थाना:- गिरिडीह (मु०) लिंग:- पुरुष	गिरिडीह नगर थाना काण्ड सं० 103/89	कारण:- दिनांक 09.06.1989 को झारखण्ड बंद के अवसर पर विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-147/148/448 भा०दं०वि० जेल की अवधि-08 दिन	कण्डिका- 2 (VIII) (a) (आश्रित पुत्र)

जिला:- गोड्डा

क्र०	नाम एवं पता	केस सं०/वाद सं० आदि का नाम	आन्दोलनकारी होने का संक्षिप्त कारण एवं चिन्हितकरण का आधार	संकल्प संख्या- 1938, दिनांक- 20.04.2021 के आलोक में श्रेणी का वर्गीकरण
1	आवेदक का नाम:- विमल मंडल (आश्रित पुत्र) पिता का नाम:- स्व० सुमृत मंडल (मूल आन्दोलनकारी) ग्राम:- कोरका पोस्ट एवं थाना:- पथरगामा प्रखण्ड:- पथरगामा लिंग:- पुरुष	गोड्डा सीआर केस सं० 471/89	कारण:-अखबार कतरन के अनुसार:- दिनांक 09.06.1989 बंदी के दौरान "कैसे लोगे झारखंड- लड़ के लेंगे झारखंड" का नारा लगाने का आरोप। धारा-107/151 दं०प्र०सं० जेल की अवधि-07 दिन	2 (VIII) (a) (आश्रित पुत्र)

2	आवेदक का नाम:- सिकन्दर अन्सारी पिता का नाम:- स्व० असुरूद्दीन अन्सारी ग्राम:- घाटभागाबांध पोस्ट:- लहठी प्रखण्ड:- महगामा थाना:-महगामा लिंग:- पुरुष	महगामा थाना अप्राथ० सं० 56/93 गोड्डा अनु० क्रि०मि० वाद सं० 777/93	कारण:- दिनांक 15.09.1993 को झारखण्ड बंद एवं दिनांक 16.09.1993 से अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी के अवसर पर विधि व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107, 116 (iii)द०प्र०सं०	कण्डिका- 2 (ix)
---	--	--	--	--------------------

जिला:- हजारीबाग

क्र०	नाम एवं पता	केस सं०/वाद सं० आदि का नाम	आन्दोलनकारी होने का संक्षिप्त कारण एवं चिन्हितकरण का आधार	संकल्प संख्या- 1938, दिनांक- 20.04.2021 के आलोक में श्रेणी का वर्गीकरण
1	आवेदक का नाम:- मसो० सारो देवी (आश्रित पत्नी) पति का नाम:- स्व० सिताराम मांझी (मूल आन्दोलनकारी) ग्राम:- जवाड़ पहाड़पुर पोस्ट:- अंकित नहीं प्रखण्ड:- बरकट्टा थाना:-गोरहर लिंग:- महिला	बरकट्टा थाना अप्राथ० सं० 11/93	कारण:- दिनांक 15.03.1993 को झारखण्ड बंद के अवसर पर विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107/116 (iii)/151द०प्र०स० जेल की अवधि-07 दिन	कण्डिका- 2 (VIII) (a) (आश्रित पत्नी)
2	आवेदक का नाम:- मसो० मैनो देवी (आश्रित पत्नी) पति का नाम:- स्व० श्यामसुन्दर मांझी (मूल आन्दोलनकारी) ग्राम:- खैरियों अम्बाकोला पोस्ट:- अंकित नहीं प्रखण्ड:- बरकट्टा थाना:- बरकट्टा लिंग:- महिला	बरकट्टा थाना अप्राथ० सं० 11/93	कारण:- दिनांक 15.03.1993 को झारखण्ड बंद के अवसर पर विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107/116 (iii)/151 द०प्र०स० जेल की अवधि-07 दिन	कण्डिका- 2 (VIII) (a) (आश्रित पत्नी)

जिला:- कोडरमा

क्र०	नाम एवं पता	केस सं०/वाद सं० आदि का नाम	आन्दोलनकारी होने का संक्षिप्त कारण एवं चिन्हितकरण का आधार	संकल्प संख्या- 1938, दिनांक- 20.04.2021 के आलोक में श्रेणी का वर्गीकरण
1	आवेदक का नाम:- धीरू मुर्मु पिता का नाम:- स्व० पुना मुर्मु ग्राम:- नवडीहा फुटलाही पोस्ट:- मुर्कमनाय प्रखण्ड/थाना:- मरकच्यो लिंग:- पुरुष	मरकच्यो थाना काण्ड सं० 14/93	कारण:-दिनांक-15.03.1993 झारखण्ड बंद की तिथि, पर विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-144,341 भा०द०वि० जेल की अवधि:-17 दिन	कण्डिका- 2 (VIII) (a)
2	आवेदक का नाम:- महेन्द्र राय पिता का नाम:- मोहन राय उर्फ लखन राय ग्राम:- कटियो पोस्ट:- मुर्कमनाय प्रखण्ड/थाना:- मरकच्यो लिंग:- पुरुष	मरकच्यो थाना काण्ड सं० 14/93	कारण:-दिनांक-15.03.1993 , झारखण्ड बंद की तिथि, पर विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-144,341 भा०द०वि० जेल की अवधि:-17 दिन	कण्डिका- 2 (VIII) (a)
3	आवेदक का नाम:- मंझलू बेसरा पिता का नाम:- पुना बेसरा ग्राम:- फुटलाही पोस्ट:- अंकित नही प्रखण्ड/थाना:- मरकच्यो लिंग:- पुरुष	मरकच्यो थाना काण्ड सं० 14/93	कारण:-दिनांक-15.03.1993 , झारखण्ड बंद की तिथि, पर विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-144,341 भा०द०वि० जेल की अवधि:-16 दिन	कण्डिका- 2 (VIII) (a)
4	आवेदक का नाम:-चरवा बिरहोर पिता का नाम:- स्व० किशुन बिरहोर ग्राम एवं पोस्ट:- तिलैया प्रखण्ड:- कोडरमा थाना:- तिलैया लिंग:- पुरुष	तिलैया थाना अप्राथ० सं० 15/93 कोडरमा अनु० दण्डा वाद सं० 124/93	कारण:- दिनांक 15.03.1993 को झामुमो (सोरेन गुट) द्वारा झारखण्ड बंद के अवसर पर विधि-व्यवस्था भंग का आरोप। धारा-107, 151 दं०प्र०सं० जेल की अवधि-01 दिन	कण्डिका- 2 (VIII) (a)
5	आवेदक का नाम:- कुसमी बिरहोरिनी पति का नाम:- स्व० निरपत बिरहोर	तिलैया थाना अप्राथ० सं० 15/93 कोडरमा अनु०	कारण:- दिनांक 15.03.1993 को झामुमो (सोरेन गुट) द्वारा झारखण्ड बंद के अवसर पर विधि-व्यवस्था भंग का आरोप।	कण्डिका- 2 (VIII) (a)

	ग्राम एवं पोस्ट:- तिलैया प्रखण्ड:- कोडरमा थाना:- तिलैया लिंग:- पुरुष	दण्डा वाद सं० 124/93	धारा-107, 151 दं०प्र०सं० जेल की अवधि-01 दिन	
6	आवेदक का नाम:- योगेन्द्र सिंह पिता का नाम:- स्व० महावीर सिंह ग्राम एवं:- ढोढाकोला प्रखण्ड एवं थाना:- डोमचांच लिंग:- पुरुष	तिलैया थाना अप्राथ० सं० 15/93 कोडरमा अनु० दण्डा वाद सं० 124/93	कारण:- दिनांक 15.03.1993 को झामुमो (सोरेन गुट) द्वारा झारखण्ड बंद के अवसर पर विधि-व्यवस्था भंग का आरोप। धारा-107, 151 दं०प्र०सं० जेल की अवधि-01 दिन	कण्डिका- 2 (VIII) (a)
7	आवेदक का नाम:- दरोगी राय पिता का नाम:- स्व० झरी राय ग्राम:-बंगाखलार पोस्ट:- ढाब प्रखण्ड:- डोमचांच थाना:- ढाब लिंग:- पुरुष	कोडरमा थाना अप्राथ० सं० 11/89 कोडरमा अनु० दण्डा० वाद सं० 367/89	कारण:- दिनांक 09.06.1989 को झारखण्ड बंद व आर्थिक नाकेबंदी का समर्थन तथा सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप। धारा-107, 113, 151 दं०प्र०सं० जेल की अवधि-06 दिन	कण्डिका- 2 (VIII) (a)

जिला:- लोहरदगा

क्र०	नाम एवं पता	केस सं०/वाद सं० आदि का नाम	आन्दोलनकारी होने का संक्षिप्त कारण एवं चिन्हितीकरण का आधार	संकल्प संख्या-1938, दिनांक-20.04.2021 के आलोक में श्रेणी का वर्गीकरण
1	आवेदक का नाम:- जगदीश उरांव पिता का नाम:- एतवा उरांव ग्राम:- कुर्दों पिपरा टोली प्रखण्ड:- कुड़ू थाना:- कुड़ू लिंग:- पुरुष	लोहरदगा थाना काण्ड सं० 20/91 जी०आर सं० 36/91	कारण:- दि० 29.01.1991 को आजसू द्वारा 72 घण्टे का प्रस्तावित झारखण्ड बंद के अवसर पर नाजायज मजमा बनाकर विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-435 भा०दं०वि० जेल की अवधि-02 दिन	कण्डिका- 2 (VIII) (a)

2	आवेदक का नाम:- सुधीर केरकेट्टा पिता का नाम:- स्व० इलियास केरकेट्टा ग्राम:- सेन्हा पोस्ट:- सेन्हा प्रखण्ड:- सेन्हा थाना:- सेन्हा लिंग:- पुरुष	लोहरदगा थाना काण्ड सं० 20/91 जी०आर सं० 36/91	कारण:- दि० 29.01.1991 को आजसू द्वारा 72 घण्टे का प्रस्तावित झारखण्ड बंद के अवसर पर नाजायज मजमा बनाकर विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-435 भा०दं०वि० जेल की अवधि-02 दिन	कण्डिका- 2 (VIII) (a)
---	--	--	---	-----------------------

जिला:- रामगढ़

क्र०	नाम एवं पता	केस सं०/वाद सं० आदि का नाम	आन्दोलनकारी होने का संक्षिप्त कारण एवं चिन्हितीकरण का आधार	संकल्प संख्या- 1938, दिनांक- 20.04.2021 के आलोक में श्रेणी का वर्गीकरण
1	आवेदक का नाम:- देवकी महतो पिता का नाम:- स्व० मनस महतो उर्फ मंशी महतो ग्राम:-सुकरीगढ़ा पोस्ट:- लारी प्रखण्ड:- चितरपुर थाना:- रजरप्पा लिंग:- पुरुष	अनु० दण्डा रामगढ़ वाद सं० 261/92	कारण:- दिनांक 31.08.1992, झारखण्ड बंद की तिथि के पूर्व दिवस को विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107/113 दं०प्र०सं० जेल की अवधि-04 दिन।	कण्डिका- 2 (VIII) (a)
2	आवेदक का नाम:- नकुल राम पिता का नाम:- स्व० सहबू राम ग्राम:- मारंगमारचा पोस्ट:- चितरपुर प्रखण्ड:- चितरपुर थाना:- रजरप्पा लिंग:- पुरुष	अनु० दण्डा रामगढ़ वाद सं० 261/92	कारण:- दिनांक 31.08.1992, झारखण्ड बंद की तिथि के पूर्व दिवस को विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107/113 दं०प्र०सं० जेल की अवधि-04 दिन।	कण्डिका- 2 (VIII) (a)
3	आवेदक का नाम:- कौलेश्वर प्रसाद महतो उर्फ कौलेश्वर महतो पिता का नाम:- स्व० प्यारी महतो उर्फ लारी महतो ग्राम:- रजरप्पा प्र० पोस्ट:- रजरप्पा प्रखण्ड:- चितरपुर थाना:- रजरप्पा लिंग:- पुरुष	अनु० दण्डा रामगढ़ वाद सं० 261/92	कारण:- दिनांक 31.08.1992, झारखण्ड बंद की तिथि के पूर्व दिवस को विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107/113 दं०प्र०सं० जेल की अवधि-04 दिन।	कण्डिका- 2 (VIII) (a)

4	आवेदक का नाम:- सुरेश राम पिता का नाम:- स्व० बिरसाय महतो उर्फ विश्वनाथ महतो ग्राम एवं पोस्ट:- रजरप्पा प्रो० प्रखण्ड:- चितरपुर थाना:- रजरप्पा लिंग:- पुरुष	अनु० दण्डा रामगढ़ वाद सं० 261/92	कारण:- दिनांक 31.08.1992, झारखण्ड बंद की तिथि के पूर्व दिवस को विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107/113 दं०प्र०सं० जेल की अवधि-04 दिन।	कण्डिका- 2 (VIII) (a)
5	आवेदक का नाम:- रोहनलाल मानकी पिता का नाम:- गाजू मानकी ग्राम:- सेवई रजरप्पा प्रो० पोस्ट:- रजरप्पा प्रखण्ड:- चितरपुर थाना:- रजरप्पा लिंग:- पुरुष	अनु० दण्डा रामगढ़ वाद सं० 261/92	कारण:- दिनांक 31.08.1992, झारखण्ड बंद की तिथि के पूर्व दिवस को विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107/113 दं०प्र०सं० जेल की अवधि-04 दिन।	कण्डिका- 2 (VIII) (a)
6	आवेदक का नाम:- जगन बेदिया पिता का नाम:- स्व० बिगुआ बेदिया उर्फ भिखु बेदिया ग्राम:- तिलैया पोस्ट:- भरेचनगर साण्डी प्रखण्ड:- माण्डू थाना:- माण्डू लिंग:- पुरुष	माण्डू थाना काण्ड सं० 85/93	कारण:-दिनांक 20.03.1993 को आर्थिक नाकेबंदी में नाजायज मजमा बनाकर हरवे हथियार से लैश होकर जान मारने की नियत से ट्रक में खलासी ड्राइवर को बंद कर मारपीट कर जखमी करना तथा आग लगाने का आरोप। धारा- 147/148/307 भा०द०वि० जेल अवधि-1 माह 2 दिन	कण्डिका- 2 (VIII) (a)

जिला:- राँची

क्र०	नाम एवं पता	केस सं०/वाद सं० आदि का नाम	आन्दोलनकारी होने का संक्षिप्त कारण एवं चिन्हितकरण का आधार	संकल्प संख्या- 1938, दिनांक- 20.04.2021 के आलोक में श्रेणी का वर्गीकरण
1	आवेदक का नाम:- सुदेश कुमार महतो पिता का नाम:- श्री श्याम सुंदर महतो ग्राम एवं पोस्ट:- लगाम प्रखण्ड:- सिल्ली थाना:- सिल्ली लिंग:- पुरुष	सिल्ली थाना काण्ड सं० 26/94 एसटी 600/99	कारण:- दिनांक 16.03.1994 को प्रखण्ड कार्यालय में तोड़फोड़ करने का आरोप। धारा-147/148/353 भा०द०वि० जेल की अवधि-16 दिन।	कण्डिका- 2 (VIII) (a)
2	आवेदक का नाम:- बंधना उराँव पिता का नाम:- स्व० एतवा उराँव ग्राम:- नगड़ी पोस्ट:- ईटा चिल्द्री प्रखण्ड:- बेड़ो थाना:- बेड़ो लिंग:- पुरुष	बेड़ो थाना काण्ड सं० 59/89	कारण:- दिनांक 09.06.1989 को झामुमो द्वारा बंद के आह्वान पर झारखण्ड बंद समर्थकों द्वारा विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-147/148/149 भा०द०वि०	कण्डिका- 2 (ix)

जिला:- सरायकेला - खरसावां

क्र०	नाम एवं पता	केस सं०/वाद सं० आदि का नाम	आन्दोलनकारी होने का संक्षिप्त कारण एवं चिन्हितीकरण का आधार	संकल्प संख्या- 1938, दिनांक- 20.04.2021 के आलोक में श्रेणी का वर्गीकरण
1	आवेदक का नाम:- पुलक कुमार सतपथी उर्फ पुलक सतपथी पिता का नाम:- फनी भुषण सतपथी उर्फ फनी सतपथी ग्राम एवं पोस्ट:- घोड़ानेगी प्रखण्ड/थाना:- चाण्डिल लिंग:- पुरुष	चाण्डिल थाना अप्राथ० सं० 25/93 अनु० दण्डा० सरायकेला मिस केस सं० 521/93	कारण:- दि० 15.09.1993 को अलग झारखण्ड राज्य हेतु झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (सोरेन गुट) द्वारा झारखण्ड बंद तथा दि० 16.09.1993 से अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी के अवसर पर विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107/116 (iii)द०प्र०स० जेल की अवधि-26 दिन	कण्डिका- 2 (VIII) (a)
2	आवेदक का नाम:- तारापद महतो उर्फ तारा महतो पिता का नाम:-स्व० निकुंज महतो उर्फ जुरू महतो ग्राम:- शहेरबेड़ा पोस्ट:- चैनपूर प्रखण्ड:- चाण्डिल थाना:- चाण्डिल लिंग:- पुरुष	चाण्डिल थाना अप्राथ० सं० 25/93 अनु० दण्डा० सरायकेला मिस केस सं० 521/93	कारण:- दि० 15.09.1993 को अलग झारखण्ड राज्य हेतु झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (सोरेन गुट) द्वारा झारखण्ड बंद तथा दि० 16.09.1993 से अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी के अवसर पर विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107/116 (iii)द०प्र०स० जेल की अवधि-33 दिन	कण्डिका- 2 (VIII) (a)

जिला:- प० सिंहभूम चाईबासा

क्र०	नाम एवं पता	केस सं०/वाद सं० आदि का नाम	आन्दोलनकारी होने का संक्षिप्त कारण एवं चिन्हितकरण का आधार	संकल्प संख्या- 1938, दिनांक- 20.04.2021 के आलोक में श्रेणी का वर्गीकरण
1	आवेदक का नाम:- जयपाल सिंह बोदरा पिता का नाम:- स्व० देवेन्द्र नाथ बोदरा ग्राम:- रिटुसाई पोस्ट:- खडपोस प्रखण्ड/थाना:-मंझगांव लिंग:- पुरुष	चाईबासा (मु०) अप्राथ० सं० 09/91 अनु० दण्डा० चाईबासा मिस केस सं० 33/91	कारण:- दिनांक 28.01.1991 से दिनांक 30.01.1991 तक बंदी के आह्वान पर विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107/113/116 (iii) दं०प्र०सं० जेल की अवधि-05 दिन	कण्डिका- 2 (VIII) (a)
2	आवेदक का नाम:- दीपक बिरूवा पिता का नाम:- स्व० महेन्द्र बिरूवा ग्राम एवं पोस्ट:- सिंद्रीगौरी प्रखण्ड:- हाटगम्हरिया थाना:- हाटगम्हरिया लिंग:- पुरुष	चाईबासा (मु०) अप्राथ० सं० 09/91 अनु० दण्डा० चाईबासा मिस केस सं० 33/91	कारण:- दिनांक 28.01.1991 से दिनांक 30.01.1991 तक बंदी के आह्वान पर विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107/113/116 (iii) दं०प्र०सं० जेल की अवधि-05 दिन	कण्डिका- 2 (VIII) (a)
3	आवेदक का नाम:- दामु बान्डरा उर्फ दामु बानरा पिता का नाम:- स्व० बिक्रम बान्डरा उर्फ बिक्रम बानरा ग्राम:- गाड़ा राजा बासा पोस्ट:- सारदा प्रखण्ड:- खूँटपानी थाना:-चाईबासा (मु०) लिंग:- पुरुष	चाईबासा मु० अप्राथ० सं० 14/93 चाईबासा सदर अनु० दण्डा० वाद सं० एम 56/93	कारण:- दिनांक 15.03.1993 को झारखण्ड बंद एवं 16.03.1993 से अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी के अवसर पर विधि-व्यवस्था भंग करने का आरोप। धारा-107/113 दं०प्र०सं० जेल की अवधि-17 दिन	कण्डिका- 2 (VIII) (a)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

----- अधिसूचना

16 जून, 2022

संख्या-10/विविध-1013/2008 (खण्ड-III)-2402--विभागीय संकल्प संख्या-2108, दिनांक-07.05.2012 एवं 1938, दिनांक-20.04.2021 (प्रति संलग्न) द्वारा झारखण्ड अलग राज्य के गठन हेतु किये गये आंदोलन के आंदोलनकारियों को सम्मानित करने हेतु आयोग का गठन एवं नीति निरूपण किया गया है।

2. आंदोलनकारियों को चिन्हित करने हेतु गठित झारखण्ड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग से प्राप्त प्रथम संपुष्ट सूची प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा जिलावार चिन्हित आन्दोलनकारियों की सूची पर स्वीकृति प्रदान करते हुए अधिसूचना संख्या-4920, दिनांक-10.08.2015 अधिसूचित किया गया।

3. विभागीय उक्त अधिसूचना द्वारा अधिसूचित झारखण्ड आन्दोलनकारियों के **आश्रितों का लाभ देने एवं जिला के नाम में सुधार करने संबंधी** प्रतिवेदन चिन्हितीकरण आयोग के पत्रांक-3904, दिनांक-18.02.2022 द्वारा प्राप्त हुआ। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा संलग्न सूची के अनुसार चिन्हित आंदोलनकारियों के आश्रितों का लाभ देने हेतु कंडिका सुधार एवं जिला के नाम में संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इन चिन्हित आंदोलनकारियों को उक्त संकल्प के प्रावधानों के अनुरूप उनकी कोटि के अंतर्गत वर्णित सुविधाएं संबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा प्रदान की जायेगी।

क्र०	नाम एवं पता	पूर्व का वर्गीकरण	आश्रित को लाभ देने का आधार	संकल्प सं.- 1938 दिनांक- 20.04.21 के तहत वर्तमान का वर्गीकरण
1	मसो. हेमनी देवी, पति- स्व. बृजलाल महतो, (मूल आंदोलनकारी) ग्राम -बोंगाबार, पो०-भरेचनगर, जिला - रामगढ़	अधिसूचना सं.-1123, दि.-27.02.19 द्वारा आश्रित अधिसूचित, कण्डिका-2 (अन्य)	झारखण्ड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग, राँची के पत्रांक-3904, दिनांक- 18.02.2022 द्वारा प्राप्त कंडिका सुधार (कंडिका-2 अन्य से 3 क) के अनुशंसा के आधार पर।	कण्डिका- 2 (VIII) (a) (आश्रित पत्नी) (मसो० हेमनी देवी)

2	मसो. सारो देवी, पति- स्व. भुखन महतो उर्फ भुनेश्वर महतो, (मूल आंदोलनकारी) ग्राम -बोंगाबार, पो०-भरेचनगर, जिला-रामगढ़	अधिसूचना सं०-5239, दि०- 20.09.17 द्वारा आश्रित अधिसूचित, कण्डिका-2 (अन्य)	झारखण्ड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग, राँची के पत्रांक-3904, दिनांक- 18.02.2022 द्वारा प्राप्त कंडिका सुधार (कंडिका-2 अन्य से 3 क) के अनुशंसा के आधार पर।	कण्डिका- 2 (VIII) (a) (आश्रित पत्नी) (मसो० सारो देवी)
3	श्री सुशील मुर्मू पिता-स्व० दीवान मुर्मू ग्राम-जमुआ, पोस्ट-जाराटीकर, थाना-जरमुण्डी, जिला-दुमका	अधिसूचना सं०-7260, दि०- 26.12.17 द्वारा कंडिका सुधार अधिसूचित, कण्डिका-3 (क)	झारखण्ड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग, राँची के पत्रांक-3904, दिनांक- 18.02.2022 द्वारा प्राप्त जिला का नाम संशोधित करने संबंधी अनुशंसा (राँची के स्थान पर दुमका) के आधार पर।	कण्डिका- 2 (VIII) (a) (जिला का नाम में संशोधन)

4. संबंधित उपायुक्त अपने जिले से सम्बद्ध संलग्न सूची में नामांकित चिन्हित झारखण्ड आन्दोलनकारी की पहचान करते हुए उन्हें प्रतिमाह देय बकाया सम्मान पेंशन राशि का एक मुश्त भुगतान संगत बजट शीर्ष में निधि की उपलब्धता के आधार पर से सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह का सम्मान पेंशन का उसके अगले माह के प्रथम सप्ताह तक भुगतान होगा ।

5. यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में किसी एक आन्दोलनकारी को दोहरा सम्मान पेंशन का भुगतान नहीं हो सके ।

6. संशोधित कंडिका वाले आंदोलनकारियों को विभागीय संकल्प सं०-1938, दिनांक-20.04.2021 के तहत अनुमान्य सम्मान पेंशन का लाभ दिनांक-20.04.2021 की तिथि से देय होगा तथा इससे पूर्व की अवधि के लिए यह दिनांक-01.08.2015 की तिथि से प्रभावी होगा ।

धनेश कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

17 नवम्बर, 2023

संख्या- 13/आई०पी०एस०-125/2019-5408--

प्रेषक,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक०),
झारखण्ड, राँची ।

विषय:- श्री चन्दन कुमार सिन्हा, भा०पु०से० (2011) के द्वारा दिनांक-28.07.2023 से 08.09.2023 तक बिताई गयी प्रभार रहित अवधि की सेवा विनियमित करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार, उर्पयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना सं०-3352, दिनांक-26.07.2023 के अनुपालन में श्री चन्दन कुमार सिन्हा, भा०पु०से० ने दिनांक-27.07.2023 को अपराहन में पुलिस अधीक्षक, पलामू का प्रभार श्री रीष्मा रमेशन, भा०पु०से० को सौंपकर दिनांक-03.08.2023 के पूर्वाहन में पुलिस मुख्यालय में योगदान समर्पित किया। श्री सिन्हा को विभागीय अधिसूचना सं०-4080, दिनांक-08.09.2023 के द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के पद पर पदस्थापित किया गया तथा पुलिस मुख्यालय का ज्ञापांक-1353, दिनांक-08.09.2023 द्वारा इस संबंध में गत्यादेश निर्गत किया गया। उक्त आदेश के आलोक में इनके द्वारा दिनांक-09.09.2023 के पूर्वा० में वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची का प्रभार ग्रहण किया गया। इस प्रकार श्री सिन्हा दिनांक-28.07.2023 से 08.09.2023 तक कुल (तैंतालिस) दिनों तक प्रभार रहित अवधि में रहें, जिसमें इनका कोई दोष परिलक्षित नहीं होता है ।

2. उक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा श्री चन्दन कुमार सिन्हा, भा०पु०से० (2011) के द्वारा पदस्थापन की प्रतीक्षा में बितायी गयी प्रभार रहित अवधि को निम्नवत सेवा विनियमित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- I. दिनांक-28.07.2023 से 02.08.2023 तक पारगमन अवधि के रूप में ।
 - II. दिनांक-03.08.2023 से 08.09.2023 तक भारत सरकार के मौलिक नियम-9(6)(a)(ii) तथा 9(6)(b)(i) तथा इसके सदृश राज्य सेवा संहिता के नियम-14(क) तथा 14(ख) के तहत पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि के रूप में ।
3. श्री चन्दन कुमार सिन्हा, भा०पु०से० (2011) को उक्त अवधि के लिए कोटि वेतन देय होगा ।

विश्वासभाजन,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

1 अगस्त, 2023

संख्या-10/विविध-1011/2018-3470--विभागीय संकल्प संख्या-2108, दिनांक-07.05.2012 एवं 1938, दिनांक-20.04.2021 (प्रति संलग्न) द्वारा झारखण्ड अलग राज्य के गठन हेतु किये गये आंदोलन के आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सम्मानित करने एवं सम्मान पेंशन तथा अन्य सुविधाएँ प्रदान करने हेतु आयोग का गठन एवं नीति निरूपण किया गया है ।

2. आंदोलनकारियों/आश्रितों को चिन्हित करने हेतु गठित झारखण्ड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग से प्राप्त प्रथम संपुष्ट सूची के आलोक में अधिसूचना संख्या-4920, दिनांक-10.08.2015, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम सम्पुष्ट सूची के आलोक में अधिसूचना सं-5275, दि-22.09.2017 तथा पंद्रहवीं सम्पुष्ट सूची के आलोक में अधिसूचना सं-3031, दि-27.07.2022 के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा जिलावार चिन्हित आंदोलनकारियों की सूची पर स्वीकृति प्रदान करते हुए अधिसूचित किया गया है ।

3. विभागीय उक्त अधिसूचनाओं द्वारा अधिसूचित कतिपय झारखण्ड आन्दोलनकारियों के देहावसान के पश्चात उनके आश्रितों को लाभ देने हेतु नामित करने संबंधी प्रस्ताव/प्रतिवेदन चिन्हितीकरण आयोग के पत्रांक-230, दिनांक-23.05.2023 द्वारा प्राप्त हुआ। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा निम्न पूर्व चिन्हित आंदोलनकारियों (वर्तमान में मृत) के आश्रितों को नामित करते हुए लाभ देने पर स्वीकृति प्रदान की गयी है। इन चिन्हित आंदोलनकारियों के आश्रितों को उक्त संकल्प के प्रावधानों के अनुरूप उनके वर्गीकरण के अंतर्गत वर्णित सुविधाएं संबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा प्रदान की जायेगी ।

क्र०	मूल आंदोलनकारी/आश्रित का नाम एवं पता	पूर्व का वर्गीकरण	आश्रित नामित करने का आधार	विभागीय संकल्प सं.-1938 दिनांक-20.04.21 के आलोक में आयोग की अनुशंसा
1	आवेदिका:-मन्ती उराँव पति:-स्व० प्रवीण कुमार उराँव (मूल आंदोलनकारी) ग्राम:-काठीटांड पोस्ट:-रातू थाना:- रातू प्रखण्ड:- रातू जिला:-राँची	अधिसूचना सं.-3031, दि.-27.07.2022 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-2 (VIII) (a) जिला सूची क्रमांक-05	1. मुखिया, ग्राम पंचायत, रातू, राँची से निर्गत वंशावली। 2. स्व. प्रवीण कुमार उराँव का मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की छायाप्रति।	मन्ती उराँव को मृत झारखण्ड आंदोलनकारी स्व. प्रवीण कुमार उराँव का आश्रित पत्नी नामित किया जाता है।
2	आवेदिका:-सुनीता देवी पति:-स्व० धनेश्वर उराँव (मूल आंदोलनकारी) ग्राम:-राहम पोस्ट:-राहम थाना:- टण्डवा प्रखण्ड:- टण्डवा जिला:-चतरा	अधिसूचना सं.-5275, दि.-22.09.2017 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-3 (क)/2 (VIII) (a) जिला सूची क्रमांक-07	1. अंचलाधिकारी, टण्डवा के पत्रांक-529, दिनांक-21.04.2023 से प्राप्त आश्रित जांच प्रतिवेदन।	सुनीता देवी को मृत झारखण्ड आंदोलनकारी स्व. धनेश्वर उराँव का आश्रित पत्नी नामित किया जाता है।
3	आवेदिका:-संगीता वर्मा पति:-स्व० प्रेम वर्मा (मूल आंदोलनकारी) ग्राम:-दुर्गाबाडी लेन, पावरगंज पोस्ट:-लोहरदगा थाना:- लोहरदगा	अधिसूचना सं.-5275, दि.-22.09.2017 द्वारा अधिसूचित	1. अंचलाधिकारी, लोहरदगा के पत्रांक-1793, दिनांक-19.10.2019 से प्राप्त आश्रित जांच प्रतिवेदन। 2. आयोग के पत्रांक-3065, दिनांक-	संगीता वर्मा को मृत झारखण्ड आंदोलनकारी स्व. प्रेम वर्मा का आश्रित

	प्रखण्ड:- लोहरदगा जिला:- लोहरदगा	आन्दोलनकारी, कण्डिका-3 (क)/2 (VIII) (a) जिला सूची क्रमांक-06	30.10.2019 से आश्रित हेतु अनुशंसा की गयी है।	पत्नी नामित किया जाता है।
4	आवेदिका:-सुआर हेम्ब्रम पति:-स्व० चन्दन हेम्ब्रम उर्फ नारायण हेम्ब्रम (मूल आंदोलनकारी) ग्राम:-जानेगोडा पोस्ट:-भागाबन्दी थाना:- डुमरिया प्रखण्ड:- डुमरिया जिला:-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर	अधिसूचना सं.-4920, दि.- 10.08.2015 द्वारा कंडिका- 2 अन्य के अंतर्गत चिन्हित। जिला सूची क्रमांक-54 तदोपरांत अधिसूचना संख्या-5240, दिनांक- 20.09.2017 द्वारा कंडिका संशोधन के फलस्वरूप कण्डिका-3 (क)/2 (VIII) (a) के अंतर्गत चिन्हित। जिला सूची क्रमांक-13	1. अंचलाधिकारी, डुमरिया के पत्रांक-80, दिनांक-30.10.2021 से प्राप्त पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र। 2. स्व० नारायण हेम्ब्रम का मृत्यु प्रमाण पत्र। 3. मृत आंदोलनकारी की पत्नी सूआर हेम्ब्रम का आश्रित होने का शपथ पत्र।	सूआर हेम्ब्रम को मृत झारखण्ड आंदोलनकारी स्व० चन्दन हेम्ब्रम उर्फ नारायण हेम्ब्रम का आश्रित पत्नी नामित किया जाता है।
5	आवेदिका:-शांति बिलुंग पति:-स्व० सुरेश बिलुंग (मूल आंदोलनकारी) ग्राम:-जामपानी पोस्ट:- जामपानी थाना:- ठेठईटांगर प्रखण्ड:- ठेठईटांगर	अधिसूचना सं.-5275, दि.- 22.09.2017 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी,	1. अंचलाधिकारी, ठेठईटांगर के पत्रांक-221, दिनांक- 20.02.2023 से प्राप्त आश्रित जांच प्रतिवेदन।	शांति बिलुंग को मृत झारखण्ड आंदोलनकारी स्व० सुरेश बिलुंग का आश्रित पत्नी

	जिला:-सिमडेगा	कण्डिका-3 (क)/2 (VIII) (a) जिला सूची क्रमांक-07		नामित किया जाता है।
6	आवेदक:-कलेसर मरांडी पिता:-स्व० मस्तन मरांडी (मूल आंदोलनकारी) ग्राम:-जरुवाडीह पोस्ट:-विशनपुर थाना:- जरमुण्डी प्रखण्ड:- जरमुण्डी जिला:-दुमका	अधिसूचना सं.-4920, दि.- 10.08.2015 द्वारा अधिसूचित आन्दोलनकारी, कण्डिका-3 (क)/2(VIII) (a) जिला सूची क्रमांक-130	1. अंचलाधिकारी, जरमुण्डी के पत्रांक-83/रा., दिनांक-10.04.2023 से प्राप्त पारिवारिक सूची प्रमाण पत्र। 2. स्व. मस्तन मराण्डी का मृत्यु प्रमाण पत्र। 3. स्व. मस्तन मराण्डी के आश्रित पत्नी फुलमनी बास्की द्वारा अपने पुत्र को पेंशन देने हेतु अनापति शपथ पत्र।	कलेसर मरांडी को मृत झारखण्ड आंदोलनकारी स्व. मस्तन मराण्डी का आश्रित पुत्र नामित किया जाता है।

4. संबंधित उपायुक्त अपने जिले से सम्बद्ध नामांकित चिन्हित झारखण्ड आन्दोलनकारी/आश्रित की पहचान करते हुए उन्हें प्रतिमाह देय बकाया सम्मान पेंशन राशि का एक मुश्त भुगतान संगत बजट शीर्ष में निधि की उपलब्धता के आधार पर सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह का सम्मान पेंशन अगले माह के प्रथम सप्ताह तक भुगतान होगा ।

5. यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में किसी एक आन्दोलनकारी/आश्रित को दोहरा सम्मान पेंशन का भुगतान नहीं हो सके ।

6. उक्त नामित आश्रित को विभागीय संकल्प सं०-1938, दिनांक-20.04.2021 के तहत अनुमान्य सम्मान पेंशन का लाभ दिनांक-20.04.2021 अथवा आंदोलनकारी की मृत्यु की तिथि, जो भी बाद में हो, की तिथि से देय होगा तथा विभागीय संकल्प संख्या-2108, दिनांक-07.05.2012 के तहत इससे पूर्व की अवधि के लिए यह दिनांक-01.08.2015 अथवा आंदोलनकारी की मृत्यु की तिथि, जो भी बाद में हो, की तिथि से देय होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

फुलेन्द्र प्रसाद शर्मा,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

आदेश

22 नवम्बर, 2023

संख्या-14/ए0-14/2023-5430--दिनांक-16.02.2017 को हिन्दुस्तान दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर "पुलिसकर्मी ने सेक्स रैकेट के सरगना को छुड़ाया" संबंधित मामले में वरीय पुलिस पदाधिकारियों को सूचित किये बिना तथा सूचना का पूर्व सत्यापन किये बिना कुछ अपराधियों को पी०आर० बॉन्ड पर मुक्त करने संबंधी आरोपों के लिए अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में पुलिस मुख्यालय के द्वारा पत्रांक-975/जी०, दिनांक-11.07.2023 से श्रीमती श्रद्धा केरकेट्टा पुलिस उपाधीक्षक के विरुद्ध कार्रवाई/चेतावनी दिये जाने की अनुशंसा की गयी।

2. सभी तथ्यों एवं अभिलेखों के समीक्षोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि श्रीमती श्रद्धा केरकेट्टा, पुलिस उपाधीक्षक, भ०नि० ब्यूरो, राँची तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक-सह-थाना प्रभारी साईबर क्राईम थाना, राँची को भविष्य के लिए सचेत किया जाता है एवं यह निदेश दिया जाता है कि अपराध के मामलों में श्रीमती केरकेट्टा सूक्ष्मतापूर्वक एवं विधि सम्मत तरीके से यदि आवश्यक हो तो वरीय पदाधिकारियों से बात कर अग्रेतर कार्रवाई करेंगी, ताकी अपराधिक मामलों के निष्पादन में कहीं संदेह उत्पन्न न हो एवं विधि-सम्मत कार्रवाई सम्पन्न हो सके। चेतावनी के साथ मामले को निस्तारित किया जाता है।

3. उपर्युक्त आदेश में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के उप सचिव।

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, VIJAY PANDEY, ARADHYA KUMARI (अन्य नाम RIYA PANDEY) का पिता, शपथ पत्र सं० 803, दिनांक 17 अगस्त, 2023 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री ARADHYA KUMARI के नाम से जानी जायेगी।

ARADHYA KUMARI एवं RIYA PANDEY दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - DT 1227, DAM SIDE,
DHURWA,
P.O. & P.S. - DHURWA,
DIST. - RANCHI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, MD. PARWEZ ALAM अन्य नाम MD. KOINOOR पिता MD. NAZIM, शपथ पत्र सं० 141, दिनांक 16 अगस्त, 2023 के अनुसार MD. PARWEZ ALAM के नाम से जाना जाऊँगा।

MD. PARWEZ ALAM एवं MD. KOINOOR दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - KARBALA NAGAR,
KARBALA CHOWK,
P.O. - CHURCH ROAD,
P.S. - LOWER BAZAR,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834001
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SOHAN KUMAR THAKUR अन्य नाम SHAWAN KUMAR THAKUR पिता Late RAMDEO THAKUR, शपथ पत्र सं० 169, दिनांक 26 जुलाई, 2023 के अनुसार SOHAN KUMAR THAKUR के नाम से जाना जाऊँगा।

SOHAN KUMAR THAKUR एवं SHAWAN KUMAR THAKUR दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - KUNDARO,
P.O. - PATHARDA,
P.S. - SARATH (PATHARDA),
ANUMANDAL - MADHUPUR,
DIST. - DEOGHAR,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SHOBHA DEVI अन्य नाम SUBHANTI DEVI पति JAGESHWAR PRAJAPATI, शपथ पत्र सं० 2984, दिनांक 11 अगस्त, 2023 के अनुसार SHOBHA DEVI के नाम से जानी जाऊँगी।

SHOBHA DEVI एवं SUBHANTI DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - TILRA,
P.O. - MANDHANIYA,
P.S. - MAYURHAND,
DIST. - CHATRA,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, KHAGIYA DEVI अन्य नाम KAGESHRI DEVI पति DEVKI MAHTO, शपथ पत्र सं० 214, दिनांक 18 अगस्त, 2023 के अनुसार KHAGIYA DEVI के नाम से जानी जाऊँगी।

KHAGIYA DEVI एवं KAGESHRI DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - P.O. - HESAGARHA,
DIST. - RAMGARH,
PIN - 825316
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, JANKI अन्य नाम NANKI DEVI पति Late PUNTA, शपथ पत्र सं० 5128, दिनांक 12 अगस्त, 2023 के अनुसार JANKI के नाम से जानी जाऊँगी।

JANKI एवं NANKI DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - SAKIN - HESLA,
P.S. - BAGODAR,
DIST. - GIRIDIH,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, MINA DEVI अन्य नाम KUNTI DEVI पति GEETA PRASAD SINGH, शपथ पत्र सं० 05, दिनांक 18 अगस्त, 2023 के अनुसार MINA DEVI के नाम से जानी जाऊँगी।

MINA DEVI एवं KUNTI DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - SAKIN - GANDHI SCHOOL ROAD,
WARD NO. - 22
P.O. - JHUMARI TELAIYA,
P.S. - TELAIYA,
DIST. - KODERMA,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, JITRAM LOHRA, SONAM KUMARI (अन्य नाम ANJANA KUMARI) का पिता, शपथ पत्र सं० 23, दिनांक 8 अगस्त, 2023 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री SONAM KUMARI (जन्म तिथि - 16 मई, 2011) के नाम से जानी जायेगी।

SONAM KUMARI एवं ANJANA KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - 2ND LANE, OPP. CLUB,
J.C, LALPUR,
P.S. - LALPUR,
DIST. - RANCHI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, RACHNA KUMARI अन्य नाम RACHANA TIGGA पति ROHIT TIGGA, शपथ पत्र सं० 60, दिनांक 9 अगस्त, 2023 के अनुसार RACHNA KUMARI के नाम से जानी जाऊँगी।

RACHNA KUMARI एवं RACHANA TIGGA दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - BRAMBE,
P.O. - BRAMBE,
P.S. - MANDAR,
DIST. - RANCHI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, ROHAN KUMAR अन्य नाम ROHAN पिता AJAY KUMAR, शपथ पत्र सं० 1335, दिनांक 21 दिसंबर, 2022 के अनुसार ROHAN KUMAR के नाम से जाना जाऊँगा।

ROHAN KUMAR एवं ROHAN दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - H.NO. - D/6 DOORDARSHAN COLONY,
RATU ROAD, RANCHI G.P.O.,
DIST. - RANCHI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, KHUSHBOO KUMARI अन्य नाम SONI KUMARI पिता DUDHESHWAR TIWARI, शपथ पत्र सं० 1229, दिनांक 23 अगस्त, 2023 के अनुसार KHUSHBOO KUMARI के नाम से जानी जाऊँगी।

KHUSHBOO KUMARI एवं SONI KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - PREM NAGAR,
LATMA ROAD,
SINGHMORE, HATIA,
P.S. - JAGARNATHPUR,
DIST. - RANCHI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SHAKTI PRASAD, KRITIKA VERMAN (अन्य नाम LADLI VERMAN) का पिता, शपथ पत्र सं० 198, दिनांक 10 अगस्त, 2023 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री KRITIKA VERMAN (जन्म तिथि - 20 फ़रवरी, 2015) के नाम से जानी जायेगी।

KRITIKA VERMAN एवं LADLI VERMAN दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. & P.O. - KATU,
P.S. - RATU,
DIST. - RANCHI,
PIN - 835222
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, ROSHAN KUMAR अन्य नाम SONU KUMAR पिता KISHOR KUMAR YADAV, शपथ पत्र सं० 05, दिनांक 14 नवंबर, 2022 के अनुसार ROSHAN KUMAR के नाम से जाना जाऊँगा।

ROSHAN KUMAR एवं SONU KUMAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - BARMASIA NEAR BACHA JAIL,
P.O. - DHANBAD,
P.S. - DHANSAR,
DIST. - DHANBAD,
PIN - 826001
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, ARJUN KUMAR BHARTI अन्य नाम VIPIN KUMAR RAM पिता SRI KANHAI RAM, शपथ पत्र सं० 1347, दिनांक 8 अगस्त, 2023 के अनुसार ARJUN KUMAR BHARTI के नाम से जाना जाऊँगा।

ARJUN KUMAR BHARTI एवं VIPIN KUMAR RAM दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - SUNDI,
P.O. - RAJI,
P.S. - KHARAUNDHI,
DIST. - GARHWA,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, GAYATRI TIWARY अन्य नाम GAYATRI DEVI पति SHARMANAND TIWARY, शपथ पत्र सं० 816, दिनांक 21 अगस्त, 2023 के अनुसार GAYATRI TIWARY के नाम से जानी जाऊँगी।

GAYATRI TIWARY एवं GAYATRI DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - NAGWAN MOHALLA, CHATRA,
P.O. & P.S. & DIST. - CHATRA,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, GUDDI DEVI अन्य नाम SNEH LATA DEVI पति MANOJ KUMAR SINGH, शपथ पत्र सं० 863, दिनांक 16 अगस्त, 2023 के अनुसार GUDDI DEVI के नाम से जानी जाऊँगी।

GUDDI DEVI एवं SNEH LATA DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - MUNDRO BAGODAR,
GRAM BIHARO,
P.O. - ATKADIH,
P.S. - BAGODAR,
DIST. - GIRIDIH,
PIN - 825322
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, VIJAY KUMAR, PURVASHI RAJ MAHALAXMI (अन्य नाम PURSHIRAJ MAHALAXMI) का पिता, शपथ पत्र सं० 517, दिनांक 16 अप्रैल, 2023 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री PURVASHI RAJ MAHALAXMI के नाम से जानी जायेगी।

PURVASHI RAJ MAHALAXMI एवं PURSHIRAJ MAHALAXMI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - JAGANNATH VIHAR, NEW PUNDAG,
SHARDA PATH ROAD NO. - 3,
P.O. - SAIL CITY DHURWA,
DIST. - RANCHI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, BISHWANATH KUMHAR अन्य नाम VISHO KUMHAR पिता SRI RAGHU NATH KUMHAR, शपथ पत्र सं० 1793, दिनांक 16 अगस्त, 2023 के अनुसार BISHWANATH KUMHAR के नाम से जाना जाऊँगा।

BISHWANATH KUMHAR एवं VISHO KUMHAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - KUMHAR TOLI BUNDU,
P.O. - BUNDU,
P.S. - BUNDU,
DIST. - RANCHI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SONI DEVI अन्य नाम TEJNI KUMARI पति SURESH RAVI, शपथ पत्र सं० 31, दिनांक 2 अगस्त, 2023 के अनुसार SONI DEVI के नाम से जानी जाऊँगी।

SONI DEVI एवं TEJNI KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - SAKIN - BANPURA,
P.O. - DONDLO,
P.S. - BAGODAR,
DIST. - GIRIDIH,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, RAJKUMAR RAVIDAS अन्य नाम NAGESHWAR RAVIDAS पिता KOKIL RAVIDAS, शपथ पत्र सं० 80, दिनांक 24 अगस्त, 2023 के अनुसार RAJKUMAR RAVIDAS के नाम से जाना जाऊँगा।

RAJKUMAR RAVIDAS एवं NAGESHWAR RAVIDAS दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - BISHNUGARH,
P.O. - BANASO,
P.S. - BISHUNGARH,
DIST. - HAZARIBAGH,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, INDRAWATI DEVI, MUSKAN KUMARI (अन्य नाम CHHOTI KUMARI) कि माता, शपथ पत्र सं० 701, दिनांक 25 अगस्त, 2023 के अनुसार घोषणा करती हूँ कि मेरी पुत्री MUSKAN KUMARI के नाम से जानी जायेगी।

MUSKAN KUMARI एवं CHHOTI KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - SILWAY, TATISILWAY,
P.O. & P.S. - TATISILWAY,
MANKI DIP, CHAIR FACTORY SILWAI, NAMKUM,
DIST. - RANCHI,
PIN - 835103
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, REENA INDERNEIL PRAKASH अन्य नाम REENA KUMARI एवं REENA PRAKASH पिता SRI RAM DHARI PRASAD, पति SRI INDERNEIL PRAKASH, शपथ पत्र सं० 82, दिनांक 18 अगस्त, 2023 के अनुसार REENA INDERNEIL PRAKASH के नाम से जानी जाऊँगी।

REENA INDERNEIL PRAKASH, REENA KUMARI एवं REENA PRAKASH तीनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - FLAT NO. -3 -A,
B. G. TOWER,
KANKE ROAD,
CHANDNI CHOWK, MISIRGONDA,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834008
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SEEMA DEVI, NISHA KUMARI (अन्य नाम LAXMI KUMARI) कि माता, शपथ पत्र सं० 182, दिनांक 2 नवम्बर, 2023 के अनुसार घोषणा करती हूँ कि मेरी पुत्री NISHA KUMARI के नाम से जानी जायेगी।

NISHA KUMARI एवं LAXMI KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - PIPAR TOLI, ARGORA,
P.S. - ARGORA,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834002
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, NEETA KUMAR अन्य नाम VEENA SMRITI पति SANJAY KUMAR, शपथ पत्र सं० 37, दिनांक 22 अगस्त, 2023 के अनुसार NEETA KUMAR के नाम से जानी जाऊँगी।

NEETA KUMAR एवं VEENA SMRITI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VEENA SMRITI NEAR T.O.P. MORABADI,
NEW AREA MORABADI,
P.S. - T.O.P. MORABADI,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834008
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, JYOTSANA CHAUBEY अन्य नाम JYOTSANA पिता SHREE SATYA NARAYAN CHOUBEY, पति SHREE RAVI SHANKAR CHAUBEY, शपथ पत्र सं० 720, दिनांक 8 अगस्त, 2023 के अनुसार JYOTSANA CHAUBEY के नाम से जानी जाऊँगी।

JYOTSANA CHAUBEY एवं JYOTSANA दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - FLAT NO. - 406, 4TH FLOOR,
GARDENIA HOMES APARTMENT,
BARIATU ROAD,
NEAR VASUNDHARA PALM ISLAND,
KARAM TOLI CHOWK, MORABADI,
P.S. - LALPUR,
DIST. - RANCHI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, BABITA KUMARI, BHUMI RANI (अन्य नाम AMISHA KUMARI) कि माता, शपथ पत्र सं० 1925, दिनांक 18 मई, 2023 के अनुसार घोषणा करती हूँ कि मेरी पुत्री BHUMI RANI (जन्म तिथि - 6 मार्च, 2009) के नाम से जानी जायेगी।

BHUMI RANI एवं AMISHA KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - MAHUWA TOLA, (INDRA CHOWK),
P.O. - BHADANINAGAR,
CHIKOR, RAMGARH,
PIN - 829105
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SUDARSHAN LAL, AVINASH KUMAR LAL (अन्य नाम AYUSH KUMAR LAL) का पिता, शपथ पत्र सं० 320, दिनांक 6 सितम्बर, 2023 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र AVINASH KUMAR LAL के नाम से जाना जायेगा ।

AVINASH KUMAR LAL एवं AYUSH KUMAR LAL दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL. - NARSINGHPUR, PATHRA,
P.O. - NARSINGHPUR,
P.S. - CHAINPUR,
DIST. - PALAMU,
PIN - 822110
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, DIPA CHOURASIA, AADITYA CHOURASIA (अन्य नाम DIPANSHU CHOURASIA) कि माता, शपथ पत्र सं० 163, दिनांक 26 जून, 2023 के अनुसार घोषणा करती हूँ कि मेरा पुत्र AADITYA CHOURASIA (जन्म तिथि - 24 मार्च, 2007) के नाम से जाना जायेगा ।

AADITYA CHOURASIA एवं DIPANSHU CHOURASIA दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL. - NEAR STATE BANK OF INDIA,
ORMANJHI,
P.O. & P.S. - ORMANJHI,
DIST. - RANCHI,
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, DILIP KUMAR SAHU, AAKARSHAN RAJ (अन्य नाम ROHIT KUMAR RAJ) का पिता, शपथ पत्र सं० 12, दिनांक 15 मई, 2023 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र AAKARSHAN RAJ (जन्म तिथि - 25 अक्टूबर, 2011) के नाम से जाना जायेगा।

AAKARSHAN RAJ एवं ROHIT KUMAR RAJ दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - KISHOREGANJ IRGU TOLI,
ROAD NO. - 3,
P.S. - SUKHDEO NAGAR,
DIST. - RANCHI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SATYAJEET PANDA अन्य नाम JITENDRA KUMAR PANDA पिता PARIJAY PANDA, शपथ पत्र सं० 22, दिनांक 29 अगस्त, 2023 के अनुसार SATYAJEET PANDA के नाम से जाना जाऊँगा।

SATYAJEET PANDA एवं JITENDRA KUMAR PANDA दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - 93 BRAHMAN TOLA,
P.S. - GOLA, HESAPORA,
DIST. - RAMGARH,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, CHANDAN BANSALL अन्य नाम CHANDAN BANSAL पिता SUNIL BANSAL, शपथ पत्र सं० 294, दिनांक 25 नवम्बर, 2023 के अनुसार CHANDAN BANSALL के नाम से जाना जाऊंगा ।

CHANDAN BANSALL एवं CHANDAN BANSAL दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL. - 5TH FLOOR TRINITY RESIDENCY
RANCHI ROAD, SEWTA,
P.O. - MARAR
P.S. - MANDU,
DIST. - RAMGARH,
PIN - 829117
JHARKHAND
